रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253067 CG-DL-E-15032024-253067

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 1311]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1377(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा को प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे कार्यों के संबंध में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या जिनके किए जाने से छूट प्रदान किया गया, केंद्र सरकार का यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

- 1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-(1) इस आदेश को प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश 28 फरवरी, 2025 से लागू होगा:

बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 28 मई , 2025 से लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 28 अगस्त , 2025 से लागू होगा।

1978 GI/2024 (1)

- 2. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.-** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखितत दनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
- (2) बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी, निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.- यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम. 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर	303:1989	सामान्य प्रयोजनों के लिए प्लाईवुड
शटर	2202 (भाग1):1999	वुडेन फ्लश डोर शटर (ठोस प्रकार के)- प्लाईवुड फेस पैनल
	710:2010	मरीन प्लाईवुड
	5509:2021	अग्निरोधी प्लाईवुड
	1328:1996	साज-सज्जा वाले प्लाईवुड
	2191 (भाग 2):2022	वुडेन फ्लश डोर शटर(सेलुलर और छिद्र वाले) – पार्टिकल बोर्ड और हार्डबोर्ड फेस पैनल
	2191 (भाग 1):2022	वुडेन फ्लश डोर शटर (सेलुलर और छिद्र वाले) - प्लाईवुड फेस पैनल
	2202(भाग 2): 2022	वुडन फ्लश डोर शटर (ठोस प्रकार के) - पार्टिकल बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और फाइबर हार्डबोर्ड फेस पैनल
	4990: 2011	कंक्रीट शटरिंग कार्यों के लिए प्लाईवुड – विनिर्देशन
	10701: 2012	स्ट्रक्चरल प्लाईवुड – विनिर्देशन

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसाकि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसुचित किए गए हैं, ऐसी अधिसुचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/9/2023-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1377(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done

before such supersession, the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

- **1.Short title and commencement. -** (1) This order may be called the Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2024.
 - (2) It shall come into force with effect from the 28th February,2025:

Provided that in respect of small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 28th May, 2025:

Provided further that in respect of micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 28th August, 2025.

2. **Compulsory use of Standard Marks.-**Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export.

- **3.** Certification and enforcing authority. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Plywood and Wooden flush door shutters	303:1989	Plywood for general purposes
	2202 (Part 1):1999	Wooden flush door shutters (solid core type) - Plywood face panels
	710:2010	Marine plywood
	5509:2021	Fire retardant plywood
	1328:1996	Veneered decorative plywood
	2191 (Part 2):2022	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) - Particle board and hardboard face panels,
	2191 (Part 1):2022	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) - Plywood face panels
	2202(Part 2): 2022	Wooden Flush Door Shutters (Solid core type) — Particle Board, High Density Fibre Board, Medium Density Fibre Board and Fibre Hardboard Face Panels
	4990: 2011	Plywood for concrete shuttering works - Specification
	10701: 2012	Structural plywood - Specification

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-14031/9/2023-CI] SANJIV, Jt. Secy.